उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–100/2022–23

सरकार

बनाम्

मन्नू कुमार एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 28/4/23

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला मेहरमा थाना काण्ड संख्या–132/2022 दिनांक–15.09.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–499/अप0शा0 दिनांक–05.02.2023 से धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त 1. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–JH16B-2497, 2. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GA-7191, 3. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GB-5586, 4. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GB-9976 एवं 5. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–JH18C-1909 तथा उस पर लदे गिट्टी (स्टोन चिप्स) को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–JH16B-2497, 2. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GA-7191, 3. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GB-5586, 4. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GB-9976 एवं 5. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–JH18C-1909 के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से गिट्टी (स्टोन चिप्स) की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–JH16B-2497, 2. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GA-7191, 3. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GB-5586, 4. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GB-9976 एवं 5. हाईवा

ट्रक निबंधन सं0– JH18C-1909 के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में 1. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–JH16B-2497 के मालिक मन्नू कुमार, पिता–चन्द्रमोहन यादव, सा0–लकड़ाकोल, थाना–पीरपैंती, जिला–भागलपुर, बिहार, 2. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GA-7191 के मालिक सोनू कुमार, पिता–चन्द्रमोहन यादव, सा0–सादीपुर, थाना–पीरपैंती, जिला–भागलपुर, बिहार, 3. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GB-5586 के मालिक रामबदन यादव, पिता–विश्वनाथ यादव, सा0–सबलपुर, थाना–पीरपैंती, जिला–भागलपुर, बिहार, 4. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GB-9976 के वास्तविक मालिक धनंजय कुमार, पिता–गोपी यादव, सा0–नयाटोला, थाना–नवगछिया, जिला–भागलपुर, बिहार तथा वर्तमान मालिक सोनू यादव, पिता–चन्द्रमोहन यादव, सा0–लकड़ाकोल, थाना–पीरपैंती, जिला–भागलपुर, बिहार एवं 5. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–JH18C-1909 के मालिक मो0 रोशन जलाल, पिता– शेख जब्बार, सा0–छोटी कोदरजन्ना, थाना–साहेबगंज मुफस्सिल, जिला– साहेबगंज के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में 1. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–JH16B-2497, 2. हाईवा ट्रक निबंधन सं0– BR10GA-7191, 3. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GB-5586, 4. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GB-9976 एवं 5. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–JH18C-1909 तथा उस पर लदे गिट्टी (स्टोन चिप्स) के विरूद्ध धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षीगण को कारण–पृच्छा दायर करने के लिए नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षी सं0–01, 02 एवं 03 की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है।

विपक्षी सं0–01 मन्नू कुमार का कथन है कि जप्त वाहन के द्वारा वैध चालान के आधार पर खनिज का परिवहन किया जा रहा था। चूँकि जप्त वाहन के मालिक एवं चालक को सक्षम न्यायालय से जमानत प्राप्त हो चुका है। इसलिए राजसात की कार्रवाई करना उचित नहीं है। उन्होंने राजसात से विमुक्त करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी सं0–02 सोनू कुमार का कथन है कि जप्त वाहन के द्वारा वैध चालान के आधार पर खनिज का परिवहन किया जा रहा था। चूँकि

जप्त वाहन के मालिक एवं चालक को सक्षम न्यायालय से जमानत प्राप्त हो चुका है। इसलिए राजसात की कार्रवाई करना उचित नहीं है। उन्होंने राजसात से विमुक्त करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी सं0–03 रामबदन यादव का कथन है कि जप्त वाहन के द्वारा वैध चालान के आधार पर खनिज का परिवहन किया जा रहा था। चूँकि जप्त वाहन के मालिक एवं चालक को सक्षम न्यायालय से जमानत प्राप्त हो चुका है। उनका आगे कथन है कि जप्त वाहन व्यवसायिक वाहन है एवं थाना परिसर के खुले स्थान में पड़े रहने के कारण खराब हो रहा है। इसलिए राजसात की कार्रवाई करना उचित नहीं है। उन्होंने राजसात से विमुक्त करने का अनुरोध किया है।

सरकारी वकील का कथन है कि गिट्टी (स्टोन चिप्स) परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध गिट्टी (स्टोन चिप्स) प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है। मेहरमा थाना काण्ड संख्या–132/2022 दिनांक–15.09.2022, भा0द0वि0 की धारा–379/411/34 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4/54 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 तथा झारखण्ड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के तहत जप्त कर मेहरमा थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का 1. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–JH16B-2497, 2. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GA-7191 एवं 3. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GB-5586 को गिट्टी (स्टोन चिप्स) चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। विपक्षीगण के द्वारा जप्ती के समय वाहन पर लदे अवैध गिट्टी (स्टोन चिप्स) के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन अवैध तरीके से गिट्टी (स्टोन चिप्स) चोरी कर परिवहन में संलिप्त पाया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि एवं पूर्व में

संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मुल्य	खनिज का दुगुनी राशि	अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
JH16B-2497	00	600	20520.00	41040.00	00	41040.00
BR10GA-7191	00	600	20520.00	41040.00	00	41040.00
BR10GB-5586	00	850	29070.00	58140.00	00	58140.00

एवं दो–दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक–एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त वाहन 1. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–JH16B-2497, 2. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GA-7191 एवं 3. हाईवा ट्रक निबंधन सं0–BR10GB-5586 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं दो–दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक–एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे गिट्टी (स्टोन चिप्स) को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे। अन्य विपक्षी जिनके द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। उन्हें कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए अंतिम नोटिश निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक–..................... को उपस्थापित करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 11:51:46 +05:30
Location: 172.21.32.1